df'k vkj fdlkuk d fy; Hkfe

Hkfe vf/kxg.k lfgr dbl Hkfe;k d mi;kx vkj vf/kdkjk l lcf/kr ennk ij ukV

lrr vkj v[kM df'k xBc/ku ¼vk'kk½

nf{k.k Hkkjr df'k vknkyu leUo; lfefr ¼,l-vkbZ-lh-lh-,Q-,e-½

कृषकों के लिये भूमि अधिकारों और विशेषरूप से भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिये हाल ही में (9 सितम्बर 2012 को बैंगलोर में भूमि अधिग्रहण पर एस.आई.सी.सी.एफ.एम. वाद–विवाद के भाग के रूप में और 12 तथा 13 सितम्बर 2012 को भोपाल में किसान स्वराज सम्मेलन के भाग के रूप में) दर्जनों किसान नेताओं और सैकड़ों किसानों ने मुलाकात की। इसमें सामने आए मुख्य मुद्दे निम्न हैं:

1. <u>^^lkoZtfud mnn'ş;**%</u> निजी और पी.पी.पी. परियोजनाओं को सार्वजनिक उद्देश्यों रूप में नहीं समझा जा सकता है। हम समाज के विकास के रूप में उद्योगों और पी.पी.पी. भूमि देने से पूर्णतः मना करते हैं। हम विशेषरूप से अधिग्रहण के उस समावेश को अस्वीकार करते हैं जिसे उस विधेयक की वर्तमान रीति में 'अवसंरचना परियोजनाओं' के रूप में पारित किया जा सकता है, जिससे सरकार सार्वजनिक उद्देश्य की किसी भी परियोजना को पारिभाषित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, भले ही कोई परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य की हो या न हो, उसकी स्थापना, चर्चा और निर्धारण ग्राम सभाओं द्वारा किया जाना चाहिये।

जो भी चीजें सार्वजनिक उद्देश्यों के रूप में पारिभाषित की जाती है उन्हें अत्यधिक सीमित कर देना है, बहुत ज्यादा दुर्लभ मामलों ही भूमि अधिग्रहण के लिये और सीमित भूमि के लिये भी, केवल सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के समान। इससे व्यवसायिक उद्देश्यों (मॉल आदि), पर्यटन, खेल आदि के लिये किये जाने वाले भूमि अधिग्रहण को पृथक करना चाहिये।

मुख्य रूप से ''बनावटों'' के परिदृश्य से सार्वजनिक उद्देश्यों को पारिभाषित करने का एक मत है, जैसे कि ''यह विषय या कारण जो उन लोगों को अधिकतम लाभ देता है जिनकी भूमि और अन्य संसाधनों को उनसे दूर किया जा रहा है''। सार्वजनिक उद्देश्य को ऐसा उद्देश्य होना चाहिये जिससे आम जनता को लाभ पहुंचे, जैसा स्थानीय समुदायों के साथ प्रजातांत्रिक पंचायत और चर्चा में नियत किया गया था, जहां परियोजना प्रस्तावित है वहां की जाने वाली सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाओं सहित (यह स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करने के बाद कि निजी और पी.पी.पी. परियोजनायें इस वर्ग के अंदर नहीं आती हैं)। *bld vfrfjDr] dkbZ Hkh ifj;kstuk ;k dkj.k ftldh otg l mu 0;fDr;k dh lkekftd&vkfFkd fLFkfr;k vkj vkthfodk e lrr mUufr ugh gkrh g ftul vf/kxg.k fd;k tk jgk g rk bl lkoZtfud mnn'ş; ugh dgk tk ldrk gA*

इसके आगे, यह पाया गया है कि हजारों एकड़ भूमि को सार्वजनिक उद्देश्यों के नाम पर एक बार अधिग्रहण करके दूसरे उद्देश्यों में प्रयोग करने के लिये ले जाया जा रहा है। बहुत ही कम अधिग्रहण का सिद्धांत लागू नहीं किया गया है। इसकी बहुत आवश्यकता है कि उन सभी आवंटित भूमियों की समीक्षा की जाए जो बताए गये उद्देश्यों के बदले किये गये भूमि अधिग्रहण के बाद कहीं और जा रही हैं ताकि यह पता किया जा सके कि कहीं भूमि का उपयोग बताए गए उद्देश्यों के विरूद्ध तो नहीं किया जा रहा और यदि किया गया है, भूमि को उसके स्वामी या निम्नतम प्रशासनिक इकाई को लौटा दिया जाए, ताकि इसके बाद उसका प्रयोग खाने और आजीविका सुरक्षा उद्देश्यों के लिये किया जा सके, जिसमें भूमिहीनों को भूमि देना भी शामिल है।

2. <u>ifl) {k=%</u> जबकि यह हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय आम लाभों के लिये रखे जाने के लिये देश के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य की शक्ति को स्वीकार करें, लेकिन राष्ट्र को हिलाने वाले 2जी और कोलगेट घोटालों

की रोशनी में, राज्य की न्यासिता पर अब पहले की तुलना में काफी ज्यादा प्रश्न उठता है। यह अस्वाभाविक है कि न्यासिता का दुरूपयोग बहुत कम उत्तरदायित्व के साथ किया जा रहा है, जिसमें देश की अधिकारहीन और आम जनता से ज्यादा लाभ एकाधिकारप्राप्त औद्योगिक इकाईयों को दिया जा रहा है। 'कोलगेट' कांड से संबंधित विश्लेषणों में यह दिखाया जा रहा है कि इसने न केवल विकास का प्रतिरूप रिसता है बल्कि सरकार यह मानती है कि यह वास्तव में राज्य में निहित न्यासिता के ऐसे प्रशासन से भी जुड़ रहा है।

न्यासिता के दुरूपयोग ('घनिष्ठ पूंजीवादियों' और भ्रष्टाचार तक के लिये) के इतिहास से अलग यह प्रश्न है कि क्यों प्रसिद्ध क्षेत्रों का उपयोग मुख्य रूप से 'औद्योगिकरण', 'नगरीकरण' और 'अवसंरचना के विकास' के संदर्भ में किया जाता है (ऐसे ही जब गरीबों के लिये अवसंरचनात्मक विकास पर विचार किया जाता है, तो इसे जरा सा पारिभाषित किया जाता है, लेकिन जब ऐसे व्यापारों की बात आती है जिसमें ऐसे विकास से लाभ हो तो इन्हें विस्तार से पारिभाषित किया जाता है) न कि *xkeh.k iu#)kj] [kk| lqj{kk vkSj vkthfodk lqj{kk* के संदर्भ में। इसे किसी खाली बयानबाजी के रूप में न देखा जाए जैसी प्रतिज्ञायें सरकार ने लाखों विकास उद्देश्यों के लिये की है, यह कि इस देश में हम गरीबी, भूखा और कुपोषण के शर्मनाक स्तर पर हैं, यह कि हमारे दसों हजार किसानों ने आत्महत्या कर ली..... *rc jkT;ksa }kjk vuqlj.k dj jgs dkQh fodklkRed <kpks@ekWMy ij gekjk iz'u gS] fdl ^lkekftd HkykbZ* dh [kkst esa xjhcksa ds fy;s iks"k vko';d lalk/ku vehjksa vkSj "kfDr'kkfy;ksa ds gkFk esa tk jgs gSA* ''प्रसिद्ध क्षेत्र'' और ''विकास'' के नियंत्रक विचारों के विभिन्न दृष्टिकोणों की धारणा पर राष्ट्रीय बहस की पहला करना समय की मांग है, क्योंकि देश संसाधनों के लिये सरकार और उद्योगों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए लोग उबल रहे हैं।

3. <u>cyiwoZd dkbZ vf/kxg.k ugha%</u> जबरदस्ती किसी भी अधिग्रहण की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये। इसका अर्थ है कि स्थानीय शासन इकाई (पल्ली सभा/ग्राम सभा) की 100 प्रतिशत मंजूरी। भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि सभी प्रभावित इसके लिये मंजूर न हो। इसमें वे भी सम्मिलित हैं जिनकी आजीविका संसाधन से जुड़ी है, भले ही वे उन संसाधनों के स्वामी न हों।

4. <u>df'k ;kX; Hkwfe dk vf/kxg.k u fd;k tk,%</u> कृषि योग्य किसी भी भूमि को भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत में अधिकारों से अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है। एकल फसल या दो फसल का वर्गीकरण कोई मायने नहीं रखता क्योंकि केवल राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित खाद्य सुरक्षा का मुद्दा नहीं है जिसकी किसी को चिंता होनी चाहिये बल्कि यह प्रभावितों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है, जो एकल–फसल की भूमि की स्थिति में ज्यादा कमजोर हो जाती है। यह तथ्य संसदीय स्थिर आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में किया है।

5. <u>Hkwfe ds mi;ksx dh ;kstuk%</u> देश में भूमि के उपयोग की योजना की प्रक्रिया को शुरू करना आवश्यक है, जिसकी शुरूआत ग्राम सभा और उसके ऊपर से की जाए, जिससे ग्रामीण घरों की खाद्य और आजीविका की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। यह फिर ऐसे किसी अधिग्रहण के लिये किसी भी उपलब्ध भूमि को प्रस्तुत करेगा, यदि कोई है, विभिन्न स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद, उनके मवेशियों और उनके घास चरने की भूमि, मछुआरों आदि की आजीविका के अतिरिक्त जल निकायों द्वारा प्रदान की जा रही पर्यावरण–तंत्र आदि सहित। शुरू की गई इस प्रकार की भूमि उपयोग योजना प्रक्रियाओं के बिना, इनके लिये प्रदान किये गये वैध कानूनों के साथ, इनके लिये आवश्यक ऐसी योजनाओं और संसाधनों पर पहले दावा करने वाली ग्राम सभाओं के साथ, देश को हमेशा विभिन्न दलों के बीच उलझनों को देखा पड़ेगा और देश सामूहित रूप से पारिभाषित किये गये अपने कई विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाएगा।

6. <u>,d ,dhd`r dkuw u%</u> ''भूमि अधिग्रहण'' के नाम से जिस एक अधिनियम पर बहस की जा रही है उसके साथ देश में एक दर्जन से भी ज्यादा कानूनों के अंदर किये गये भूमि अधिग्रहण का कोई अर्थ नहीं निकलता है।

एक एकीकृत कानून की वास्तव में काफी आवश्यकत है और इस पर संसद में कानून बनाया जाना चाहिये – इस देश में कोई भी भूमि अधिग्रहण केवल इसी कानूनी शासन के माध्यम से किया जाना चाहिये और आरऔरआर के प्रावधान भी लागू किये जाने चाहिये।

7. futh m|ksx vkSj ih-ih-ih- ds fy;s dksbZ Hkwfe vf/kxzg.k ugha% सरकार को किसी भी प्रकार की पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिये किसी भी प्रकार की भूमि का अधिग्रहण नहीं करना चाहिये।

8. ih-b-,l-,-@vuqlwfpr {ks=% अनुसूचित क्षेत्रों के लिये सहमत संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का पूर्णतः समर्थन करना चाहिये और यहां किसी भी कमजोरी की अनुमति नहीं होनी चाहिये।

9. xzke lHkk dk vf/kdkj gS% किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई भी कानून ग्राम सभा में स्थित संवैधानिक प्राधिकारण में सबसे पहले जारी किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि देश में प्रजातंत्र की इस मूल इकाई में ये अधिकार स्थित हैं और इसके पूर्व, सूचित अनुमति हासिल की जाती है और वे सार्वजनिक उद्देश्य की प्रकृति की भलीभांति जांच करते हैं। सभी चरणों में ग्राम सभा की सहभागिता आवश्यक है और कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर परियोजना को रोकने की शक्ति भी इसके पास होनी चाहिये। सरकारी प्राधिकरणों और अधिग्रहण करने वाली एजेंसियों के बीच संबंधित ग्राम सभा के पास से पर्याप्त प्रक्रिया के बिना कोई भी एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित नहीं किया जा सकता है।

10. fopkjk/khu vkj-,.Mvkj- izfØ;kvksa dks iwjk djuk% इस देश में लाखों लोग, जो ''परियोजना–प्रभावित हैं'' और अनिच्छा से विस्थापन भोगते हैं, इन दिनों केवल मुआवजा, राहत और पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। यह एक इशारा भी है कि अन्य लोगों को भी भविष्य में क्या मिलेगा, यदि स्थितियों को तेजी से नहीं बदला गया। यह तत्काल जरूरी है कि भूमि अधिग्रहण पर आगे की बहस केवल विचाराधीन आर.एंड.आर. प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही की जायें, ताकि देश आगे बढ़ने से पहले इन अनुभवों से कुछ सीख सके। अतः प्रस्तावित विधेयक को पूर्व कार्यक्रम के अनुसार लागू किया जाना चाहिये और अपूर्ण आर.एंड.आर. के पूर्व दावों को निपटाने का काम राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्वास कार्यक्रम द्वारा किया जाना चाहिये।

11. vkfJr ifjokjksa ds vf/kdkj% आज देश में कृषि कार्य ज्यादातर आसामी किसानों और बटाईदारों द्वारा देश के कई हिस्सों में भूमि मालिकों के साथ की जाती है, जो अनुपस्थित भूस्वामी बनते जा रहे हैं। इस प्रकार की सभी स्थितियों में भूमि अधिग्रहण इन निर्भर परिवारों के जीवन और आजीविका को प्रत्यक्ष तौर पर बाधित करेगा, विशेष रूप से तब जब आसामी खेती और साझेदारी की खेती विभिन्न कारणों से आधिकारिक रूप से कहीं भी दर्ज नहीं की जाती है। भूमि अधिग्रहण के किसी भी प्रस्ताव में सबसे पहले इस चुनौती को समझा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इन निर्भर परिवारों की आजीविका पूर्णतः सुरक्षित हैं। वस्तुतः, इस प्रकार से भूमि अधिग्रहण के मौके का प्रयोग किया और विरले ही जब ऐसा घटित हो, तो सबसे ज्यादा अधिकारहीन लोगों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिये पक्षपात किये बिना एक विशेष ट्रस्ट होना चाहिये, लाभकारी संसाधनों पर नियंत्रण सहित।

12. eqvkotk] iquokZl vkSj iqu:)kj% यह महसूस किया गया कि मुआवजा दिये गये दिशानिर्देश मूल्य पर ठीक नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बाजार की कीमतों से बहुत कम है। असल में, मुआवजा के लिये निधारित राशि बाजार की कीमतों से ज्यादा होना चाहिये ओर अधिग्रहण की कोशिश करने वाला कोई भी उद्योग इस उनका उचित लागत के रूप में दिखायें। इसके अतिरिक्त, राहत और पुनरूद्धार सभी प्रभावित परिवारों के लिये होना चाहिये, और भूमि विकल्पों के लिये अनिवार्य भूमि भी होनी चाहिये जहां जब तक संभव हो सके तब तक

पुनर्वास करने की कोशिश की जा सके। पुनर्वास और पुनरूद्धार को निष्पक्ष विकास को सुनिश्चित करने के मौके के रूप में देखना चाहिये और इसके लिये ही योजना बनानी चाहिये।

13. Hkkfe vf/kxzg.k dh orZeku fLFkfr vkSj Hkkfe nsus dk vuqca/k ij “osr i=% भूमि को व्यापार और अन्य उद्यमों के लिये बांटने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योगों के साथ विभिन्न एम.ओ.यू. और अनुबंध हस्ताक्षरित किये जा रहे हैं। तथापि, यह सुनिश्चित नहीं है कि कौन सी भूमि, कहां, कितनी, किन शर्तों और स्थितियों पर इन्हें बांटी जा रही है या विभिन्न अनुबंधों के अंतर्गत वादा किया गया है। यह काफी महत्वपूर्ण है कि सरकार सबसे पहले भूमि अधिग्रहण की अब तक की स्थिति पर विस्तृत और यथार्थ श्वेत पत्र प्रदर्शित करें, और फिर भविष्य में भूमि अधिग्रहण से संबंधित/में सम्मिलित अनुबंध। यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 18 लाख हेक्टेयर से 180 लाख हेक्टेयर (जो कि स्वतंत्रता के बाद के दशकों में गैर–कृषि उपयोगों में लाई गई भूमि के बराबर है) का अनुमान भूमि के परिमाण के रूप में लगाया जा रहा है, जिसे केवल पिछले दशक या विभिन्न राज्यों में बांटा गया हैं।

mijksDr dks ns[krs gq,] gekjh eq[; ekxsa fuEu gS%

- पूरे देश में दिये गये उन सभी भूमि अधिग्रहणों को तुरंत निरस्त कर दिया जाए जो इस बहस का मुद्दा हैं प्रसिद्ध क्षेत्र और सार्वजनिक उद्देश्य का खुलासा अभी भी देश में किसी भी स्पष्ट आगामी उत्तर के बिना हो रहा है।
- भूमि की स्थिति और भूमि अधिग्रहण/भूमि आवंटन के वादे और सार्वजनिक और निजी कंपनियों के साथ अप्रयुक्त पड़ी भूमि पर विस्तृत और यथार्थ श्वेत पत्र को प्रदर्शित करना।
- विस्थापित, फिर से बसे और स्वतंतत्रा से आर.एंडआर. का इंतजार कर रहे लोगों पर श्वेत पत्र प्रदर्शित किया जाए और आगे बढ़ने से पहले एक राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनरूद्धार आयोग की स्थापना की जाए।
- भूमि अधिग्रहण और आर.एंडआर. विधेयक को भारतीयों के विशाल बहुमत के सभी प्रयोजनों को ध्यान में रखकर उन्नत किया जाए। इसके लिये लोगों के प्रतिनिधि को मिलाकर बनाए गये एक आयोग के गठन और सार्वजनिक उद्देश्यों आदि पर ज्यादा व्यापक राष्ट्रीय बहस करने के लिये किसानों के आंदोलन की आवश्यकता है।
- उस भूमि की वापसी जिसका प्रयोग अधिग्रहण के समय बताए गए उद्देश्य से पृथक किया गया है।
- एक विस्तृत भूमि उपयोग परियोजना की प्रक्रिया को अपनाया जाए जिसका प्रतिनिधित्व ग्राम सभायें करें।

ge ;g Hkh ekurs gSa fd ljdkj dks cgrj ou vf/kdkj fu;e dk dk;kZUo;u djuk pkfg;s vkSj gekjs fdlkuksa ds fy;s [ksrh ,d lk/; vkSj lEekfur mi;e cukus ds fy;s fdlkuksa }kjk lgdkjh@lkefgd d`f"k dk leFkZu djuk pkfg;sA ;g Hkh lq>ko fn;k tkrk gS fd uxjh; {ks=ksa ds fy;s lhek;sa fu/kkZfjr dj nh tk;sA